



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082021-229113
CG-DL-E-19082021-229113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3119]
No. 3119]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2021/श्रावण 27, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2021/SRAVANA 27, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2021

का.आ. 3372(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1499(अ) तारीख 08.04.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में कुराली से कीरतपुर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के कि.मी. 28.600 से कि.मी. 71.500 (रूपनगर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "16.04.2021" को "जगबानी (पंजाबी)" और "द ट्रिब्यून (अंग्रेजी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में कुराली से कीरतपुर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के कि.मी. 28.600 से कि.मी.71.500 (रूपनगर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: रूपनगर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: रूप नगर				
	गांव का नाम: रंगीलपुर (188)				
1	287 Min	निजी	चाही	0.0337	जगीर सिंह पुत्र काकू पुत्र सारधा 1/4 शेयर, बुध सिंह पुत्र फकीर सिंह पुत्र कालू 13/66 शेयर, धरमपाल सिंह पुत्र किशन सिंह पुत्र काकू 1/4 शेयर, लाख कौर विधवा दलबारा सिंह पुत्र किशन सिंह 7/264 शेयर, बलजीत कौर पुत्री दलबारा सिंह पुत्र किशन सिंह 7/264 शेयर, शेयर मनजीत कौर पुत्री दलबारा सिंह पुत्र किशन सिंह 7/264 शेयर, लखवीर सिंह पुत्र दलबारा सिंह पुत्र किशन सिंह, सुखदेव कमल पुत्र जय चंद पुत्र मुंसी राम 13/132 शेयर, हरबंस सिंह पुत्र जय चंद पुत्र मुंसी राम 13/132 शेयर (287 मिन)
			कुल	0.0337	

[फा. सं. NHAI/BOT-II/11012/13/1/2006/LA-07/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2021

S.O. 3372(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O No. 1499(E) dated 08.04.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Kurali to Kiratpur Section NH-205 in the stretch of land from Km. 28.600 to Km. 71.500 in the District of RUPNAGAR in the state of PUNJAB;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Jagbani (Punjabi)” and “The Tribune (English) both dated 16.04.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-205 in the stretch of land Kurali to Kiratpur Road Km. 28.600 to Km. 71.500 in the District of RUPNAGAR in the state of PUNJAB.

State: PUNJAB		District: RUPNAGAR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Rup Nagar				
	Village: Rangilpur (188)				
1	287 Min	Private	Chahi	0.0337	Jagir Singh S/o Kaku S/o Sardha 1/4 Share, Budh Singh S/o Fakir Singh S/o Kalu 13/66 Share, Dharampal Singh S/o Kishan Singh S/o Kaku 1/4 Share, Labh Kaur Wd/o Dalbara Singh S/o Kishan Singh 7/264 Share, Baljeet Kaur D/o Dalbara Singh S/o Kishan Singh 7/264 Share, Manjeet Kaur D/o Dalbara Singh S/o Kishan Singh 7/264 Share, Lakhveer Singh S/o Dalbara Singh S/o Kishan Singh, Sukhdev Kamal S/o Jai Chand S/o Munsu Ram 13/132 Share, Harbans Singh S/o Jai Chand S/o Munsu Ram 13/132 Share. 287 Min
			TOTAL	0.0337	

[F. No. NHAI/BOT-II/11012/13/1/2006/LA-07/3D]

RAJESH GUPTA, Director